साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 26 अप्रैल 2021, वर्ष-7, अंक-04

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

मंडियों में लाकडाउन! ऑनलाइन सौदा पत्रक से अनलॉक उपज की खरीदी-बिक्री

- व्यापारियों और किसानों के बीच आपसी सहमति से निजी केंद्रों पर होगी खरीदी
- **कोरोना संक्रमणः** मंडी बोर्ड की प्रबंध संचालक प्रियंका दास ने बनाई व्यवस्था
- **बड़ी राहतः** 24 घंटे में करना होगा किसान को भुगतान, मंडी सचिव करेंगे सत्यापन

मंडियों में किसानों-व्यापारियों के बीच उपज की खरीदी और बिक्री प्रभावित न हो इसलिए 31 जुलाई तक के लिए व्यवस्था बनाई है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ई-मंडी पोर्टल से सौदा पत्रक आनलाइन जारी किए जाएंगे। किसान और व्यापारी प्राइवेट खरीदी केंद्र में कृषि उपज की खरीदी-बिक्री कर सकेंगे। नमूने के आधार पर भी यह खरीदी हो सकेगी।

प्रियंका दास, प्रबंध संचालक, मप्र मंडी बोर्ड

भोपाल। कोरोना के भयावह संक्रमण के कारण प्रदेश की कृषि उपज मंडियां बंद हैं। ऐसे समय मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक के जरिए किसानों की उपज खरीदने की व्यवस्था बनाई है। व्यापारियों को सुविधा दी गई है कि वे आनलाइन सौदा पत्रक बनाकर किसानों से उपज की खरीदी उनके खेत, गांव या गोदाम पर जाकर कर सकेंगे। या अपने निजी खरीदी केंद्र पर किसान को बुलाकर खरीदी कर सकेगा। यह सौदा पत्रक एंड्रायड मोबाइल एप के जरिए आनलाइन जारी होंगे। व्यापारी और किसान के बीच उपज के भाव पर सहमति के आधार पर यह सौदा पत्रक तैयार होंगे।

आनन-फानन में जांच बैठाई तो हुए चौकानें वाले खुलासे

हजारों गांव नक्शाविहीन

अरविंद मिश्र, भोपाल

प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में भी सरकारी जमीनों को कब्जाने का धंधा जोरों पर है। राज्य सरकार पिछले तीन दशक के रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल करवा कर रसूखदारों के काले कारनामें सामने लाने में जुटी हुई है। प्रदेश के हर जिले में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है।

फिलहाल ग्वालियर, जबलपुर, सतना, रीवा, कटनी, धार, होशंगाबाद, हरदा और अशोकनगर आदि जिलों में खरबों रुपए की जमीन कानून को धता बनाकर निजी हाथों में सौंपने के मामले सामने आए हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में हजारों गांव ऐसे हैं जिनका नक्शा नहीं है। गौरतलब है की सरकारी रिकॉर्ड में प्रदेश में 54,903 गांव हैं। इनमें 53,738 राजस्व ग्राम हैं। लेकिन इन गांवों में हजारों गांव ऐसे हैं जो नक्शाविहीन हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा नक्शाविहीन गांव सतना में होने के बाद आयुक्त भू-अभिलेख ने इस पर आश्चर्य जताया था कि जिले में तीन-तीन नक्शे होने के बाद भी कैसे सभी एक साथ गायब है। इसके बाद इसके सत्यापन के निर्देश दिए गए थे।

- **552 फाइलें और 15 हजार हेक्यटेर चरनोई भूमि गायब**
- **23 हजार हेक्यटेर पड़त भूमि पर दंबगों का कब्जा मिला**
- **मुख्यमंत्री के आश्वासन को राजस्व अमले ने गंभीरता से नहीं लिया**
- **भू-माफिया, दलाल, पूंजीपतियों की मिलीभगत भूमि लूटा जा रहा**
- **चरनोई भूमि की बंदरबांट उन जिलों में हुई है जहां विकास हुआ**

कहां कितनी जमीन गायब

- सीधी में तीन लाख 62 हजार 030 हेक्टेयर
- शिवपुरी में 3 लाख 12 हजार 200 हेक्टेयर
- बालाघाट में 2 लाख 28 हजार 322 हेक्टेयर
- छिंदवाड़ा में 2 लाख 16 हजार 560 हेक्टेयर
- सतना जिले में 2 लाख 3 हजार 485 हेक्टेयर
- राजस्व मंत्री के जिले सागर में 407 हेक्टेयर
- उच्च शिक्षा मंत्री के उज्जैन में 663 हेक्टेयर
- देवास जिले में 985 हेक्टेयर सरकारी जमीन

सिर्फ कागजी कार्रवाई

मध्यप्रदेश के कटनी, सतना, रीवा, शहडोल, छतरपुर, ग्वालियर, भिंड सहित करीब दो दर्जन जिलों में करोड़ों रुपए की चरनोई भूमि पर प्रशासन की ढुलमुल नीति और लचर व्यवस्था के चलते असरदार भू माफिया के कब्जे में चली गई है। सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने के नाम पर अधिकारी कागजी कार्रवाई में उलझे रहते हैं।

संबंधित खबर पेज तीन पर

42 लाख हेक्टेयर जमीन लापता

मप्र में 42 लाख हेक्टेयर जमीन लापता है। भोपाल की ही 65 हजार हैक्टेयर जमीन सरकारी रिकॉर्ड से गायब है। शहडोल में सरकारी जमीन 13 लाख 55 हजार 066 हैक्टेयर थी, जो वर्ष 2000 में घटकर मात्र 6 लाख 44 हजार 964 हैक्टेयर ही रह गई है। होशंगाबाद और विदिशा में जमीन का रिकॉर्ड सही पाया गया है।

अब सत्यापनः नक्शाविहीन गांवों का सत्यापन रिकॉर्ड रूम में रखे नक्शों से कराया जा रहा है। यह सत्यापन पूरा हो जाएगा कि वास्तव में कितने नक्शे पूरी तरह से गायब हैं और कितने नक्शे जीर्णशीर्ण हो चुके हैं जो उपयोगी नहीं है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

15 हजार हेक्टेयर गोचर भूमि गायबः मप्र में सरकारी रिकॉर्ड से जमीनों के गायब होने की पड़ताल के दौरान ग्वालियर जिले में साल 2004 के बाद से 15 हजार हेक्टेयर चरनोई यानि की गोचर की भूमि गायब पाई गई है। मप्र में गोचर की भूमि के लिए हर एक ग्राम पंचायत में आरक्षित किया गया था। लेकिन आज वो जमीन नक्शें से गायब हो गई है।

22 हजार गांवों में नहीं बची चरनोई भूमि : पिछले एक दशक में प्रदेश में 25,000 हैक्टेयर चरनोई भूमि रसूखदारों को आवंटित कर दी गई है। मार्च 2010 में सीएम शिवराज सिंह ने आश्वासन दिया था कि यदि कलेक्टर ने किसी के लिए चरनोई भूमि की अदला बदली की है तो ऐसे मामलों की जांच कर उसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन आज 10 साल बाद स्थिति यह है कि प्रदेश के 22,000 गांवों में चरनोई भूमि ही नहीं बची है।

पीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिया 50 लाख का पुरस्कार

सागर और बैतूल जिला पंचायत सीईओ सम्मानित

भोपाल। मध्यप्रदेश के सागर और बैतूल जिला पंचायत के सीईओ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। उन्हें यह पुरस्कार दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए दिया। सागर जिपं सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले को पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए की नकद राशि दी गई। डॉ. इच्छित पढ़पाले को यह पुरस्कार उनके नवाचारों व कई अभिनव कार्यों के लिए दिया गया है। उन्होंने जिला पंचायत में साधारण सभा व अन्य उप समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन किया। इसी तरह बैतूल जिपं सीईओ एमएल त्यागी को पुरस्कार के तहत 50 लाख रुपए की राशि प्रदाय की गई। वहीं बैतूल जिपं सीईओ ने **'जागत गांव हमार'** से चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पूरी टीम को पुरस्कार मिला है। अब हम जिले में और अच्छा काम और नवाचार करेंगे। जिससे लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिले। ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सकें।

एमएल त्यागी, बैतूल

इच्छित गढ़पाले, सागर

भूसे के निर्यात पर रोक

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने गौ ग्रास के उपयोग में आने वाले भूसे के निर्यात व औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दी है। परमहंस संत डॉ. अवधेशपुरी महाराज ने पशुपालन मंत्री को पत्र लिखकर गौवंश के लिए भूसे का संरक्षण करने की मांग की थी। मामले में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रदेश की गौशालाओं में 2 लाख 43 हजार गौवंश हैं। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं में चारे व भूसे के लिए अनुदान दिया जाता है। गौशाला संचालक सही समय पर भूसे का क्रय व भंडारण सुनिश्चित कर लें। संत अवधेशपुरी ने बताया उद्योगों में ईंधन के रूप में भूसे का उपयोग होता है। प्रतिवर्ष गेहूं की फसल आने के बाद उद्योग व्यवसाय से जुड़े लोग भूसे की खरीदी कर लेते हैं। कोरोना काल में सरकार का ध्यान जब आमजन के स्वास्थ्य की ओर लगा हुआ है। ऐसे में गौवंश के लिए मंत्री को पत्र लिखकर भूसे के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए आग्रह किया था।

» सीएम शिवराज की घोषणा पर नहीं हो पाया अब तक अमल
» खाद्य अधिकारी ने कहा शासन ने नहीं दिया जून का आवंटन

गरीबों को सिर्फ दो माह का राशन

संवाददाता, भोपाल

सरकार ने कोविड संक्रमण के बीच गरीबों को भले ही तीन माह का राशन बांटने के निर्देश दिये हैं, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ दो माह का राशन ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं। इसके पीछे प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क हैं कि शासन ने अब तक जून माह के राशन आवंटन का आवंटन ही नहीं दिया है, लिहाजा अप्रैल और मई माह का ही राशन साथ में बांटा जा रहा है। बात इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की करीब साढ़े 5 करोड़ आबादी शासन द्वारा रियाती दर पर मुहैया कराये जाने वाले राशन पर निर्भर है। कोरोना कर्फ्यू के बीच बंद होने की कगार पर पहुंची आर्थिक गतिविधियों का इस वर्ग पर विपरीत असर पड़ा है। इसकी खाद्य आवश्यकता और संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को कम करने के मद्देनजर अनावश्यक आवाजाही रोकने के लिये तीन माह का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद गरीबों के चेहरे पर मुस्कान भी बढ़ी, लेकिन उचित मूल्य की दुकानों में पहुंचकर यह समाप्त भी होने लगी। क्योंकि दुकान संचालक अप्रैल और मई के साथ जून माह का राशन देने में हाथ खड़े करने लगे। कमोबेश यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी है।

जून का नहीं दिया आवंटन

राजधानी की जिला खाद्य अधिकारी ज्योतीशाह नरवरिया का इस संबंध में दो टूक शब्दों में कहना है कि जब सरकार से जून माह का आवंटन अब तक दिया ही नहीं है, ऐसे में सिर्फ अप्रैल और मई माह का ही खाद्य राशन की दुकानों से बांटा जा रहा है। राजधानी में 400 से अधिक उचित मूल्य की दुकाने है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में है। इन पर करीब तीन लाख परिवारों की निर्भरता बनी हुई है। जनसंख्या के हिसाब से यह आंकड़ा करीब 15 लाख तक पहुंच जाता है।

फ्री मिलेगा तीन माह का राशन

कोविड संक्रमण के प्रथम दौर में राज्य सरकार ने प्रदेश के ऐसे 32 लाख व्यक्तियों को भी एक माह का नि:शुल्क राशन प्रदाय किया था, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं था। इन्हें चार किलो गेहूं एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति दिया था। इस पर 12 हजार 726 मीट्रिक टन गेहूं तथा 3 हजार 181 मीट्रिक टन चावल बांटा गया था। जबकि इस बार सरकार तीन माह का राशन नि:शुल्क देने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय हाल ही में कैबिनेट बैठक में लिया था।

फैक्ट फाइल

1.15
करोड़ परिवार

5.36
करोड़ जनसंख्या

22
हजार राशन दुकानें

1896
ग्रामीण

4300
शहर

कोविड गाइड लाइन का पालन जरूरी

यदि किसी उपभोक्ता को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन दिया जाना है तो उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन दिया जा सकेगा। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन राशन वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करना होगा। एक समय में ज्यादा हितग्राही उपस्थित न हों, इसके लिए दुकान खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है। मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रहेगा।

अफसरों की मौजूदगी में बंटेगा राशन

अधिकारियों की मौजूदगी में पात्र परिवारों को राशन बंटे और उसकी सूची जिला आपूर्ति अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन का वितरण किया जाए और उन्हें पर्ची भी अनिवार्य रूप से दी जाए। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बुजुर्ग और निशक्त उपभोक्ताओं को आशीर्वाद योजना के तहत दुकानों से राशन घर तक पहुंचाया जाए। यदि ऐसा करने में कोई असुविधा हो तो उपभोक्ता के नामिनी के माध्यम से राशन दिया जाए। पोर्टेबिलिटी की नहीं मिलेगी सुविधा विभागीय अधिकारियों ने बताया कि तीन माह का एकमुश्त राशन देने की सुविधा में उपभोक्ताओं को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी।

बुजुर्गों को घर पर ही राशन

इधर, कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को एकमुश्त तीन माह का राशन देगी। इसमें बुजुर्ग और निशक्त उपभोक्ताओं को आशीर्वाद योजना के माध्यम से घर जाकर राशन दिया जाएगा। खाद्यान्न वितरण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि राशन वितरण की विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समिति बनाकर जांच कराई जाए। साथ ही अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई भी हो। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह अन्न उत्सव में नोडल अधिकारियों ड्यूटी लगाई गई थी, वैसी ही व्यवस्था इस बार भी बनाई जाए।

40 फीसदी घट गया शहर में घरेलू-व्यवसायिक कचरा

» कोरोना कर्फ्यू का असर...बायो मेडिकल वेस्ट कई गुना बढ़ा » कब्रिस्तान-श्मशानों में भी संक्रमित कचरा उठवाने का इंतजाम

संवाददाता, भोपाल

अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसके चलते 80 फीसदी से अधिक व्यवसायिक गतिविधियां बंद पड़ी है। सिर्फ राशन, मेडिकल, सब्जी, फल और आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही चलती रही। वहीं कल से जनता कर्फ्यू में भी सख्ती और कर दी गई है, जिसके चलते घरेलू-व्यवसायिक कचरा भी 40 फीसदी तक घट गया है। इसकी शुरुआत मार्च से ही होने लगी थी और अब अप्रैल में तो और भी कमी आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ बायो मेडिकल वेस्ट अवश्य लगातार बढ़ रहा है। 5000 किलो से अधिक बायो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, क्योंकि शहर के सभी छोटे-बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, तो हजारों मरीज होम आइसोलेशन में हैं।

अभी शहर के सभी व्यवसायिक बाजार, खान-पान के ठिये बंद हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते शासन-प्रशासन ने अधिकांश गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अभी जनता कर्फ्यू का भी सख्ती से पालन कराया गया है और होटल, रेस्टोरेंट से लेकर होम डिलीवरी भी बंद हो गई। वहीं नगर निगम गीला-सूखा व अन्य कचरा अलग-अलग एकत्रित करता है। घरों, दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निगम की कचरा गाड़ियां सुबह-शाम कचरा लेती हैं। अभी घरों से तो कचरा हालांकि उतना ही निकल रहा है, लेकिन चूंकि शहर की अधिकांश दुकानें-बाजार बंद हैं, लिहाजा वहां का कचरा नहीं हो रहा है।

5000 मैट्रिक टन गीला कचरा

मार्च तक निगम को इतना कचरा मिल रहा था, उसके बाद इसमें कमी आने लगी और अभी अप्रैल में तो सूखा कचरा 400 मैट्रिक टन और गीला कचरा 300 मैट्रिक टन तक रह गया। यानी 5000 मैट्रिक टन गीला और सूखा कचरा ही शहर में निकल रहा है। यानी 400 मैट्रिक टन से अधिक कचरा कम हो गया। लेकिन दूसरी तरफ बायो मेडिकल वेस्ट अवश्य लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब अधिकांश लोग मास्क लगाने लगे, तो इसके कचरे के अलावा हैंड ग्लब्स, पीपीई किट, सैनेटाइजर बोतलों से लेकर अन्य सामग्री बढ़ने लगी है।

चार गुना बढ़ा आंकड़ा

कब्रिस्तानों से लेकर श्मशान घाटों में भी बड़ी संख्या में शव लगातार पहुंच रहे हैं, उसके कारण भी यहां का मेडिकल वेस्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि पीपीई किट पहनकर ही अंतिम संस्कार कराया जाता है। लगभग 5000 किलो से अधिक बायो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, जिसका निपटान नगर निगम द्वारा निजी संस्थान से कराया जा रहा है। गत वर्ष जहां शहर में दो टन यानी 1500 किलो तक बायो मेडिकल वेस्ट निकलता था, लेकिन इस बार चूंकि मरीजों की संख्या कई गुना अधिक बढ़ गई है तो यह आंकड़ा चार गुना तक हो गया है।

शिवराज में दस हजार करोड़ की जमीन माफिया मुक्त

भू-माफिया, गुंडों और अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा

माफिया के कब्जे में 450 अरब की जमीन

विशेष संवाददाता, भोपाल

शासन और प्रशासन का इकबाल तभी बुलंद होता है, जब अपराध और अपराधियों में कानून का खौफ दिखे। मप्र में इन दिनों माफिया की दुनिया में शासन-प्रशासन का खौफ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में भूमाफिया, गुंडा तत्वों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पिछले 11 माह में ऐसे लोगों के कब्जे से करीब 9,986 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई है। भोपाल, इंदौर, खरगोन, टीकमगढ़, पन्ना, देवास, रायसेन और बड़वानी जिलों में जमकर कार्रवाई की गई।

प्राकृति सौंदर्य और खनिज संपदा से भरपूर मप्र का जितना अवैध दोहन हुआ है उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले मप्र में लाखों हैक्टेयर जमीन भू माफिया और रसूखदारों ने सीलिंग एक्ट की आड़ में कब्जा कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी भूमिहीन है। भू-माफिया ने वन भूमि, चरनोई भूमि, ग्रीन बेल्ट, मरघट, कब्रिस्तान, खेल मैदान, नदी, तालाब आदि पर कब्जा कर रखा है। शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर गोलमाल किया गया है। सरकार अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की जिलावार सूची बनवाकर उनके कब्जे से जमीन छुड़वा रही है।

रसूख पर चला बुलडोजर

प्रदेश में अपने रसूख के दम पर सरकारी जमीनों पर अवैध रुप से बड़े होटल, रेस्टोरेंट, गोदाम, घर बनाकर ठप्पे से रहने वाले भू-माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया और अवैध कामों में लिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। आपराधिक तत्वों को पनाह देने वाले इन असामाजिक तत्वों का साम्राज्य नेस्तनाबूत करने अब पुलिस और प्रशासन मिलकर सख्त कार्यवाही कर रहे है। ऐसे मामलों में राजनीतिक सिफारिशों को नजरअंदाज करने और पुलिस और प्रशासन को फ्री हैंड देने के अच्छे नतीजे सामने आए है। हालांकि बालाघाट, निवाड़ी, राजगढ़, नरसिंहपुर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, विदिशा, अलीराजपुर, खरगोन, होशंगाबाद, ग्वालियर, आगरमालवा, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, शाजापुर, कटनी, मंडला, सीधी, अनूपपुर में सरकार की मंशानुसार माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाई है।

450 अरब की जमीन भू माफिया के कब्जे में

प्राकृति सौंदर्य और खनिज संपदा से भरपूर मप्र का जितना अवैध दोहन हुआ है उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले मप्र में लाखों हेक्टेयर जमीन भू माफिया और रसूखदारों ने सीलिंग एक्ट की आड़ में कब्जा कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी भूमिहीन है। भू-माफिया ने वन भूमि, चरनोई भूमि, ग्रीन बेल्ट, मरघट, कब्रिस्तान, खेल मैदान, नदी, तालाब आदि पर कब्जा कर रखा है। शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर गोलमाल किया गया है। गत वर्ष आयुक्त भू-अभिलेख ने करीब 3.32 लाख हेक्टेयर जमीन पर कब्जे का गोलमाल पकड़ा था। जिसकी कीमत 450 अरब रुपए से अधिक हो सकती है।

सरकारी जमीन पर कर रहे बेखौफ कब्जा

मप्र में एक तरफ सरकार माफिया पर अंकुश लगाने के लिए कायदे-कानून सख्त करती है। वहीं अधिकारियों के साथ मिलकर रसूखदार माफिया अपना अवैध कारोबार बेरोकटोक बढ़ाते रहते हैं। खासकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का कालाकारोबार यहां बेरोकटोक चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मप्र में 231.34 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि उपयोग की है। वहीं वन क्षेत्रफल 85.89 लाख हैक्टेयर, काश्त उपयोगी पड़त भूमि 10.02 लाख हैक्टेयर, कुल पड़त भूमि 9.81 लाख हैक्टेयर है। लेकिन हकीकत में वन भूमि, चरनोई और पड़त भूमि पर बड़े स्तर पर भू माफिया ने कब्जा किया है। सरकार भूमि को कब्जाने का यह खेल सुनियोजित तरीके से किया गया है। इसे कब्जाने वाले रसूखदार लोग हैं।

भू-माफिया का खेल उजागर

अतः प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकता है। लेकिन अपनी चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफिया के कब्जे से सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। गत वर्ष आयुक्त भू-अभिलेख की पड़ताल में प्रदेश में बड़े पैमाने पर भू माफिया का खेल उजागर हुआ था। भू माफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके प्रदेशभर में 3.32 लाख हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जाई है। अनुमानतः भू माफिया के कब्जे में वाली इन जमीनों की कीमत कम से कम 250 अरब रुपए होगी। अब उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक-एक माफिया से सरकारी जमीनों को मुक्त करवा रही है।

162 के नाम पर 3.32 लाख हेक्टेयर जमीन

आयुक्त भू-अभिलेख की पड़ताल में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से प्रदेश में 162 निजी खातेदारों के नाम पर 3.32 लाख हेक्टेयर जमीन दर्ज कर दी गई है। इस सूची के आने के बाद भू-अभिलेख विभाग में हड़कंप मच गया था। काफी जद्दोजहद के बाद ये सारा खेल उजागर होने के बाद सत्यापन कार्य हुआ। जीआई सर्वे भी कराया गया तब जा कर इतने बड़े पैमाने पर भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। अकेले सतना में ही कुल 18 खसरों का रकवा 12479 हेक्टेयर पाया गया है। इसमें से 4 निजी खातेदारों को नाम पर 2976 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इसी तरह से 14 शासकीय खसरों में 9503 हेक्टेयर जमीन दर्ज है।

सीलिंग एक्ट की उड़ाईं धज्जियां

सीलिंग एक्ट के बाद व्यापक पैमाने पर लोगों की जमीनें उनके कब्जे से हटाकर सरकारी की गई थीं। लेकिन कुछ लोगों ने संदिग्ध परिस्थितियों में राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर जमीन के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। हालांकि आरोप है कि यह सब प्रशासनिक मिलीभगत से ही हुआ। इसका पता चलने पर पड़ताल शुरू हुई जिसमें हकीकत सामने आने के बाद अब राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर भू माफिया को इन जमीनों से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के संबध में बताया जाता है कि आयुक्त भू-अभिलेख ने प्रदेश की जमीनों की जब पड़ताल की तो पता चला कि प्रदेश का रकबा घट रहा है। बाद में इसकी गहन जांच की गई तो पाया गया कि कई खसरों के नंबर और रकबा गलत पड़ा हुआ है।

अब 10 हेक्टेयर से अधिक की बारी

सीलिंग एक्ट को ताख पर रख कर प्रदेशभर में के कुछ लोग 3.32 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे के स्वामी बन गए। यह मामला जब आयुक्त भू-अभिलेख के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा भेजते हुए खसरा सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद शुरू हुए अभियान में इन जमीनों की मिल्कियत के दस्तावेजों में सुधार किया गया। कुछ मामलों में तो पाया गया कि इनमें रकबो में जीरो अलग से लगा हुआ है। हालांकि यह जानबूझ कर किया गया या लिपिकीय त्रुटि रही, यह अभी पता नहीं चल सका है। अब 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले खसरों की जांच भी शीघ्र शुरू होने वाली है। इसके लिए सीएलआर ऑफिस की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही सीएलआर कार्यालय से इस संबंध में संदिग्ध खसरे के नंबर भेजे जाएंगे उसके बाद यहां सत्यापन का काम शुरू किया जा सकेगा।

भूमि घोटाले की हो रही पड़ताल

मामले का खुलासा सतना जिले में माफिया द्वारा किए गए कब्जे की जांच पड़ताल में हुआ है। सतना जिले की पड़ताल में पाया गया कि वहां कुल 18 खसरों का रकवा 12479 हेक्टेयर है। जिसमें से 4 निजी खातेदारों को नाम पर 2976 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इसी तरह से 14 शासकीय खसरों में 9503 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इस सूची के आने के बाद भू-अभिलेख के अधिकारियों ने इसका सत्यापन कर खसरा सुधार कराया। सतना जिले में जिन चार निजी खातेदारों के खसरों में 500 हेक्टेयर से अधिक जमीन दर्ज थी उनमें उचेहरा तहसील के पथरहटा हल्के के कुशली गांव के खसरा नंबर 109/2, रामनगर तहसील के सुहौला हल्का के मुनगहा गांव के खसरा नंबर 12/2/क, रामनगर तहसील के झिन्ना आरआई सर्किल के जिगना पटवारी हल्के के हिनौता गांव के खसरा नंबर 441 और मैहर तहसील के बदेरा आरआई सर्किल के धनवाही पटवारी हल्का के धनवारी गांव के खसरा नंबर 2506/1/क शामिल थे।

अब जागा प्रशासन

सतना में भी ऐसे कुछ नंबर सामने आए जो बाणसागर डूब प्रभावित थे। इसका सत्यापन करने के बाद एक अन्य पड़ताल में पाया गया कि विभिन्न जिलों में कुछ खातेदारों के पास 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें हैं। यह चौंकाने वाला मामला था। क्योंकि सीलिंग एक्ट के बाद इतने बड़े पैमाने पर किसी खातेदार के पास जमीन हो ही नहीं सकती थी। इधर, वेब जीआईएस भी लागू हो गया था। ऐसे में खसरा सुधार के लिए राज्य स्तर से परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रदेश में 162 निजी खातेदारों के नाम पर लगभग 3.32 लाख हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इसके बाद आनन फानन में जिलों को ऐसे सभी खातेदारों का ब्यौरा देते हुए इसका सत्यापन करते हुए सुधार करने के निर्देश दिए गए।

दुग्ध पालकों को अतिरिक्त आय बनी संबल

प्रेमसिंह पटेल
पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री

कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में आर्थिक संकट छा गया वहीं मध्यप्रदेश के किसानों को दूध विक्रय से अतिरिक्त आमदनी हुई। लॉकडाउन अवधि में राज्य दुग्ध संघ द्वारा 2 करोड़ 54 लाख लीटर अतिरिक्त दूध किसानों से खरीदा गया। दुग्ध उत्पादकों को इसके लिए 94 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया। प्रदेश में 7 हजार 193 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं।

कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में आर्थिक संकट छा गया वहीं मध्यप्रदेश के किसानों को दूध विक्रय से अतिरिक्त आमदनी हुई। लॉकडाउन अवधि में राज्य दुग्ध संघ द्वारा 2 करोड़ 54 लाख लीटर अतिरिक्त दूध किसानों से खरीदा गया। दुग्ध उत्पादकों को इसके लिए 94 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया। प्रदेश में 7 हजार 193 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इनके माध्यम से वर्ष 2020-21 में करीब 9 लाख किली दूध संकलित किया गया। दुग्ध उत्पादकों को उस समय बहुत राहत मिली जब निजी संयंत्रों द्वारा दुग्ध क्रय बंद कर दिया गया लेकिन राज्य शासन के दुग्ध संघों ने दूध का संकलन जारी रखा। दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को इस वित्त वर्ष 2020-21 में 902 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। भारतीय संस्कृति में सदियों से पशुपालन ने अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर भूमिहीन, छोटे किसानों और महिलाओं में पशुपालन आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कोरोना के बावजूद पशुपालन विभाग ने अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पशुपालकों की सुविधा का हरसंभव ध्यान रखा। आलोच्य अवधि में फरवरी तक प्रदेश में एक करोड़ 42 लाख से ज्यादा पशुओं का उपचार और करीब 4 करोड़ 52 पशुओं का टीकाकरण किया गया। इसी तरह लगभग 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, 2 लाख से ज्यादा का प्राकृतिक गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान से साढ़े 4 लाख से ज्यादा वत्सोपादन एवं सवा 7 लाख से ज्यादा बधियाकरण किया गया। गत वर्ष पशुधन संजीवनी योजना में कॉल सेंटर पर 3 लाख 21 हजार 776 कॉल मिले, जिसके विरुद्ध 2 लाख 51 हजार 880 पशुओं का उपचार किया गया। प्रदेश के सभी विकासखंडो में लागू इस योजना में टोल-फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने पर चलित पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुओं का उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी गाय-भैंस वंशीय पशुओं को एफएमडी और ब्रूसेल्ला रोग का टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम में लक्षित पशुओं को यूआईडी टैग लगाया जा रहा है। पहले चरण में ढाई करोड़ से ज्यादा गाय-भैंस वंशीय पशुओं को एफएमडी का टीका लगाया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया है। राज्य शासन द्वारा बेसहारा गौ-वंश के संरक्षण के लिए 1004 गौ-शालाएं स्वीकृत की गई थीं। इनमें से 963 गौ-शालाएं पूर्ण होकर 905 गौ-शालाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा इस वित्त वर्ष में स्वीकृत 2365 गौ-शालाओं में से 1808 गौ-शालाएं निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में साढ़े 8 लाख से ज्यादा निराश्रित गौ-वंश हैं। अशासकीय संस्थाओं द्वारा 627 गौ-शालाओं में एक लाख 66 हजार निराश्रित गौ-वंश का पालन किया जा रहा है। आगर-मालवा जिले की सुसनेर तहसील के गांव सालरिया में 462.63 हेक्टेयर क्षेत्र में गौ-अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित है। केन्द्र में लगभग 4 हजार 900 वृद्ध, बेसहारा और बीमार गौ-वंश की सेवा की जा रही है। अभयारण्य में गौ-काष्ठ, वर्मी कम्पोस्ट खाद, गौ-मूत्र फिनायल आदि भी बनाया जा रहा है। हितग्राही मूलक योजनाओं में 514 मुर्रा सांड, 119 गौ-सांड, 6827 कुक्कुट इकाई, 2950 कड़कनाथ के लिये अनुदान राशि दी गई। आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना में अब तक 6800 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस वर्ष प्रदेश में 23 हजार 794 अंडा उत्पादन हुआ। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 543 ग्राम प्रतिदिन रही, जो राष्ट्रीय औसत 352 ग्राम से अधिक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना (सागर) में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई, जिसका लोकार्पण 30 दिसंबर 2020 को किया गया। संस्थान में थारपारकर, साहीवाल आदि देशी गायों की नस्लों का संरक्षण और संवर्धन किया जायेगा। मिशन में मैत्री की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश में 5 वर्षों में 12 हजार 149 भौतिक और 98.40 करो? का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020-21 में 1100 मैत्री के प्रशिक्षण के लिये 8 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई। भोपाल के केन्द्रीय वीर्य संस्थान में सेक्स सॉरटेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला के लिए 47.50 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई। यह देश की तीसरी प्रयोगशाला है। यहां साहीवाल, गिर, थारपारकर गाय और मुर्रा जाफराबादी आदि भैंस नस्लों से 90 प्रतिशत बछिया और सीमित मात्रा में बछड़ों का उत्पादन किया जाएगा। इससे उन्नत किस्म की दुधारू गाय, भैंस अधिक मात्रा में मिलेंगी। दुग्ध उत्पादक किसानों को अच्छी आमदनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सेंधवा में साढ़े 4 करोड़ की लागत से 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित किया गया है। इंदौर में 4 करोड़ की लागत से आइस्क्रीम संयंत्र तथा बटर चिपलेट मशीन, खंडवा में 25 हजार लीटर, सागर में एक लाख लीटर क्षमता के दुग्ध संयंत्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जबलपुर में लगभग 10 करोड़ की लागत से 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के ऑटोमेटिक पनीर निर्माण संयंत्र का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। वहीं दूध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये भोपाल में अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पहली बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से डेयरी संयंत्रों के लिये उपयुक्त दूध एवं दुग्ध पदार्थ तक्नीशियन का नया ट्रेड शुरू किया गया है। कोरोना काल में उपयोगिता के मद्देनजर गोल्डन मिल्क (हल्दी दूध) भी शुरू किया गया। प्रदेश में स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अनुरूप मिल्क पार्लर को नये तरीके से डिजाइन किया गया है।

कोरोना महामारी से लड़ाई में जनभागीदारी जरूरी

जीएन वाजपेयी, सेबी के पूर्व चेयरमैन

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने में भारत तभी सफल हो सकता है, जब हम सब मिल-जुलकर प्रयास करें। कोरोना की पहली लहर से ठीकठाक ढंग से उबरने के बाद गति पकड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। यही कारण रहा कि चालू वित्त वर्ष में उसमें अप्रत्याशित तेज वृद्धि के अनुमान व्यक्त किए जाने लगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी में10.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को 12.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावनाएं दिखीं। यहां तक सब ठीक रहा, लेकिन इसी बीच कोरोना की दूसरी और कहीं ज्यादा खौफनाक लहर ने दस्तक दे दी। उस पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन जैसे जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। परिणामस्वरूप हाल के दिनों में विभिन्न संस्थानों ने भारत की वृद्धि के अनुमानों में एक प्रतिशत तक की कटौती की है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए प्रतिरूपों के फैलने की दर कहीं ज्यादा तेज है। इस कारण पूरे देश में खतरे की घंटी बज गई है। विभिन्न इलाकों से आ रही खबरें इसकी पुष्टि करती हैं कि हालात भयावह होते जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है तो कहीं अस्पताल में बेड ही नहीं हैं तो कहीं कई दवाएं गायब होती दिख रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों का प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मदद के लिए लगाई जा रही पुकार अनसुनी हो रही है। कोविड-19 की खतरनाक वापसी के लिए क्या कारण हैं और कौन इसका जिम्मेदार है? दरअस, भारतीय जनता यह सोच बैठी कि हमने महामारी को पूरी तरह से मात दे दी है। ऐसा तब हुआ, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों से कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की खबरें आती रहीं। कुछ कथित जानकारों ने कहना शुरू कर दिया कि भारत हर्ड इम्युनिटी की ओर बढ़ रहा है, जबकि देश में टीकाकरण अभियान अभी शुरू ही हुआ है। जनता जब एक थके-मांदे विजेता होने के भाव में डूबी हुई थी, तब शायद शारीरिक दूरी और अन्य नियमों के परित्याग के बीच कोरोना के कुछ नए प्रतिरूप पनप रहे थे। इसी दौरान तमाम दुस्साहसी और लापरवाह लोग पार्टियों, शादी-विवाह, धार्मिक समारोहों, मेलों और यहां तक कि विरोध-प्रदर्शनों में जुटे थे। गतिशील भारतीय लोकतंत्र में चुनाव और चुनावी प्रचार अभियान चरम पर था। जिस महामारी को भारी आर्थिक कीमत चुकाकर सख्त कदमों के सहारे नियंत्रित किया गया था, उसे हमने फिर से आमंत्रित कर लिया। नतीजा यह है कि अब रोजाना तीन लाख के करीब नए मामले आ रहे हैं और सैकड़ों लोग मौत के शिकार बन रहे हैं। ये आंकड़े निरंतर बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण अब जल्द नहीं जाने वाला। फ्लू, मलेरिया, टीबी आदि बीमारियों की तरह कोविड-19 भी शायद अब टिका रह जाएगा। इसे नियंत्रित करना होगा और एहतियाती कदमों के साथ जीना सीखना होगा। शारीरिक दूरी, मास्क और लगातार हाथ धोते रहने से इसे दूर रखा जा सकता है। टीकाकरण से यह संभव हो सकता है कि अस्पताल जाने की नौबत न आए।

मध्यप्रदेश में 36 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचा नल से जल

बृजेंद्र सिंह यादव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिये दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन जारी की। मिशन के मुताबिक गांव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। इस पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी। इस मिशन के जरिये मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचल में भी हर परिवार को घर में ही नल कनेक्शन से पानी उपलब्ध करवाये जाने से माताओं-बहनों को पानी के लिये नदी, तालाब, कुआं अथवा बावड़ी तक जाने से निजात मिल जाएगी। राज्य सरकार के ग्रामीण आबादी को नल से जल मुहैया करवाने के कारगर प्रयासों से अब किसी को नीर के लिए पीर नहीं सहना होगी। जल प्रत्येक जीव के जीवन की पहली जरूरत है। राज्य सरकार भी इसे अपनी प्राथमिकता में रखते हुए इसकी शीघ्र उपलब्धता और बेहतर प्रबंधन को निरंतरता दे रही है। प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिये गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को गति मिली है और ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन। मिशन के जरिये अब तक 36 लाख 24 हजार 896 नल कनेक्शन दिए गए हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी स्कूलों/आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन से पेयजल प्रदान करने के अभियान में भी प्रदेश में तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक करीब 16 हजार शालाओं तथा करीब 9 हजार आंगनवाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आंगनवाड़ियों में नल से जल पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। जल जीवन मिशन में जल-संरचनाओं के निर्माण और संधारण के कार्य लगभग हर जिले में जारी हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का सिलसिला बना हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के लिए 15 हजार 370 करोड़ रुपए की लागत की जल-प्रदाय योजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इनमें 10 हजार 68 सिंगल विलेज, 11 समूह और 39 समूह की अंतर्ग्राम अधोसंरचना शामिल हैं। पिछले एक साल में प्रदेश के दो हजार से अधिक ग्रामों के सौ फीसदी घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

एनएबीएल प्रमाणीकरण प्राप्त करने के मामले में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीणों को पेयजल गुणवत्ता उपलब्ध करवाए जाने के लिए इस वर्ष में 7 प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा चुका है। अब प्रदेश में 9 जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं एनएबीएल प्रमाणीकृत हैं। विभाग द्वारा अन्य प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण की भी प्रक्रिया जारी है। मध्यप्रदेश राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में 25 लाख से अधिक एफएचटीसी के लक्ष्य वाले 6 राज्यों (बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, और मध्यप्रदेश) में भारत सरकार से अनुदान की तीसरी किस्त प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। इसी तरह मध्यप्रदेश ने भौतिक उपलब्धि और वित्तीय व्यय प्रतिशत के आधार पर देश के इन 6 बड़े राज्यों में दूसरा स्थान बनाया है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। साथ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन भी किया जाएगा। योजना में निर्माण लागत की 10 प्रतिशत जन-भागीदारी होगी। ग्राम से जन-भागीदारी श्रम, सामग्री अथवा नगद राशि के रूप में ली जा सकेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल ग्रामों में जन-भागीदारी 5 प्रतिशत होगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रदेश में मिशन के बेहतर संचालन के लिए प्रमुख रूप से चार घटकों को शामिल कर उनके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

नर्सरी में पपीता,एप्पल बेर, संतरा, जापानी पुदिना और आम के पौधे भी किए जाएंगे तैयार

श्योपुर की नर्सरी में तैयार होगी शुगर कम करने वाली अमरूद

संवाददाता, श्योपुर

जनपद पंचायत श्योपुर के अन्तर्गत आने वाले सोंईकलां कस्बे में अब शुगर कम करने वाली अमरूद की नई प्रजाति की नर्सरी तैयार की जाएगी। ताइवान से आया थाइ पिंक प्रजाति का अमरूद शुगर पर तो अंकुश लगाएगा ही पाचन क्रिया भी बेहतर बनाएगा।

अमरूद के अलावा नर्सरी में पपीता,एप्पल बेर,संतरा,जापानी पुदिना और आम के पौधे तैयार किए जाएंगे। अपने खेत पर यह नर्सरी तैयार रहे सोंईकलां निवासी दिलीप राठौर ने बताया कि लगभग एक वीघा खेत में यह नर्सरी तैयार की जा रही है। इस नर्सरी को तैयार करवाने में कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर से पीएचडी कर रहे आरोन निवासी रनजीत धाकड़ भी सहयोग कर रहे हैं। राठौर ने बताया कि नर्सरी में अमरूद की नई प्रजाति थाइ पिंक के पौधे तैयार किए जाएंगे। साथ ही अमरूद की अन्य प्रजातियों इलाहाबादी सफेदा, बर्फ खान के पौधे भी तैयार किए जाएंगे।इसके अलावा में नर्सरी में एप्पल बेर, रेड सेवफल, ताइवानी पपीता, जापानी पुदिना, चिकु, किन्नु (पीला सन्तरा), मौसमीं, कटहल, बनासपती, आम आदि के पौधे भी तैयार किए जाएंगे।

थाई पिंक अमरूद की खासियत

कृषि वैज्ञानिकों की माने तो थाई पिंक प्रजाति के अमरूद में औषधि गुण भी मौजूद है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ताइवान से आई प्रजाति के अमरूद का लगातार 20 दिनों तक सेवन करने से शुगर, ब्लडप्रेशर, गैस व पाचन जैसी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा।

20 स्वीकृत, लेकिन सालों बाद भी अधूरी

मुरैना में सिर्फ चार नलजल योजनाएं ही चालू

अवधेश दंडोतिया, मुरैना

पहाड़गढ़ जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट भीषण स्थिति में है, शासन भले ही हर घर नल होने की बात कह रहा है, लेकिन यह परिकल्पना अभी भी कोसों दूर है। क्योंकि पहाड़गढ़ जनपद में महज दो से तीन ही पंचायत ऐसी है जिनमें नलजल योजना काम कर रही है। इसके अलावा जो स्वीकृत की गई थी, वह योजनाएं सालों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। जिन्हें अभी एक साल का और भी वक्त ज्यादा लग सकता है। खासबात यह है कि क्षेत्र की 44 ऐसी पंचायतें है। जिनमें नलजल योजना का प्रस्ताव तक नहीं है। ऐसे में इन पंचायतों के लोगों को पानी के लिए अभी भी उन्हीं पुराने स्रोतों से सिर पर ढोकर ही पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि पहाड़गढ़ जनपद क्षेत्र के ज्यादातर पंचायतों में पेयजल संकट रहता है। जिनमें प्रशासन को कई बार टैंकरों से भी पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। पेयजल निराकरण की प्रशासनिक गंभीरता ऐसी है कि यहां की कुल 64 पंचायतों मे से महज दो से तीन ही ऐसी पंचायत है जहां नलजल योजना के जरिए घरों तक पानी पहुंचता है। बाकी की पंचायतों के लोग दशकों से पानी की किल्लत से जूझ रहे है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के होने के बावजूद यहां पेयजल के निराकरण के लिए कभी भी प्रशासनिक मानसिकता नजर नहीं आई। जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों के बीच ही अपने पेयजल का इंतजाम करना पड़ता है।

44 पंचायतों का नहीं बना प्रस्ताव

गांवों में लगे हैंडपंपों से ही पानी भरकर लाना पड़ता है। ग्रामीण योजनाएं चालू करने के लिए कई बार मांग उठा चुके, लेकिन पेयजल संकट का कभी निराकरण नहीं हो सका। यहां 20 पंचायतें ऐसी है जिनमें नलजल योजनाएं स्वीकृत भी की गई, लेकिन इनके काम सालों बाद भी पूरे नहीं हो सके। निरंतर काम चलते है और बंद हो जाते है। यह काम पूर्णता की ओर ही नहीं जा पा रहे हैं। बाकी की 44 पंचायतों की बात करें तो अभी इनके प्रस्ताव तक तैयार नहीं हो सके है। जिससे यहां काम चालू हो सकें।

गहतौली पंचायत में 2016 से चल रहा काम

पहाड़गढ़ जनपद की गहतौली पंचायत में 2016 में नलजल योजना स्वीकृत हुई और इसका काम चालू किया गया। जिसमें पाइप लाइन और टंकी और बोरों का खनन कराया जाना था। लेकिन अभी तक यह योजना पूरी नहीं हो सकी हैं। इसी तरह ऐसी 20 पंचायतें है जहां यह निर्माण किए जा रहे है। लेकिन काम किसी का पूरा नहीं हुआ है। खासबात यह है कि इनमें से एक भी ऐसी योजना नहीं है जो अंतिम रूप में हो और कुछ दिनों में चालू हो जाएगी। सभी योजनाओं को पूरा होने पर अभी भी एक साल का वक्त लग सकता है।

पंचायतों में ढो रहे पानी

पहाड़गढ़ की 44 पंचायतों में न तो नलजल योजना की स्वीकृति है और न ही कोई प्रस्ताव। जिसकी वजह से उन्हें पानी ढोकर ही दूर दराज से लाना पड़ता हैं। गांवों में लगे हैंडपंपों से कहीं इंतजाम करते है, या कृषि पंपों से पानी लाते है, लेकिन इन पंचायतों में नलजल योजना की सुविधा अभी तक नहीं हो सकी हैं। फिलहाल को कोई प्रस्ताव भी नहीं है। अगर हो भी गया तो इसे पूरा होने में ही लंबा समय लग जाएगा। क्योंकि 20 पंचायतों में ही कई साल लग गए हैं।

इनका कहना है

नलजल योजना 14 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत है। कुछ पंचायतों को बाद में बढ़ा दिया गया है। शासन से आदेश मिले थे कि स्वीकृत नलजल योजना वाली पंचायतों के मजरे टोले सभी को जोड़ना है। इस वजह से कार्य में विलंब हो रहा है।

बीके पांडेय, एसडीओ पीएचई

कोरोना वायरस के कारण खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेचने नहीं पहुंच रहे किसान

135 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा करने सरकार ने बढ़ाई खरीदी अवधि

इंदौर-उज्जैन में 15 मई और बाकी संभागों में 25 मई तक होगी गेहूं खरीद

संवाददाता, भोपाल

केंद्र सरकार न इस बार देश में सबसे अधिक मप्र से 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण किसान गेहूं बेचने खरीदी केंद्रों पर नहीं जा रहे हैं। इस कारण इस बार गेहूं खरीदी की गति धीमी है। इसको देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी की अवधि बढ़ा दी है। सरकार के निर्देश के अनुसार अब इंदौर-उज्जैन संभाग में 15 मई और बाकी संभागों में 25 मई तक गेहूं खरीदी होगी।

मप्र में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य (1,975 रुपए प्रति क्विंटल) पर गेहूं खरीदी का काम 1 अपैल से हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते किसानों से खरीदी केंद्रों पर की जाने वाली गेहूं की खरीदी के मामले में सरकार ने और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को भेजे जाने वाले एसएमएस की संख्या कम करते हुए खरीदी अवधि बढ़ा दी है। इंदौर और उज्जैन में अब 15 मई और बाकी संभागों भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चंबल में 25 मई तक गेहूं की खरीदी की जा सकेगी।

गाइड लाइन का पालन जरूरी

प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि खरीदी केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को संक्रमण से बचाने की पूरी व्यवस्था हो। इसके साथ ही कोविड गाइड लाइन का पालन जरूरी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि अब खरीदी केंद्रों पर आने वाले किसानों को जो एसएमएस भेजे जाएंगे उसकी नई व्यवस्था तय की गई है।

खरीदी केंद्रों पर संख्या सीमित

निर्देश दिया गया है कि खरीदी केंद्रों पर किसानों की संख्या सीमित रखी जाए। इसके लिए अलग-अलग जिलों में खरीदी केंद्रों से 12, 14 और 16 एसएमएस एक दिन में भेजने के लिए कहा गया है। जिन जिलों में खरीदी केंद्रों पर आने के लिए एक दिन में 12 किसानों को मौका दिया जा सकेगा, उनमें बुरहानपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, निवाड़ी और बालाघाट जिले शामिल हैं।

इसके अलावा जिन जिलों में खरीदी केंद्रों में आने के लिए 14 किसानों को एसएमएस मिलेंगे उनमें खरगोन, झाबुआ, नीमच, दतिया, भिंड, मंडला और बैतूल जिले शामिल हैं। वहीं जिन जिलों में एक खरीदी केंद्र में दिन भर में 16 किसान एसएमएस पाकर गेहूं बेचने के लिए आ सकेंगे, उनमें खंडवा, धार, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा जिले शामिल हैं। इसके साथ ही कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, भोपाल, सतना, छतरपुर, सागर, दमोह, अशोकनगर, आगर मालवा, टीकमगढ़, मंदसौर, पन्ना, रीवा और मुरैना में भी 16 किसानों को बुलाया जा सकेगा।

होशंगाबाद में जूट के बारदाने हो गए समाप्त

प्लास्टिक के बेग से चलाना पड़ रहा काम

होशंगाबाद। गेहूं उपार्जन के लिए जूट के बारदाने खत्म हो गए हैं। सभी खरीदी केंद्रों पर गेहूं की बंपर आवक हो रही है। बारदाने खत्म होने की जानकारी पूर्व में ही दे दी गई थी। इसलिए प्लास्टिक के बेग बुलवाए गए हैं। अब प्लास्टिक वेग में ही गेहूं भरा जा रहा है। खुले हुए तथा प्लास्टिक वेग में रखे हुए गेंहू के ढेर लग गए हैं। कई क्विंटल प्लास्टिक हर वर्ष आ रहा है जिससे आने वाले समय में पर्यावरण में प्रदूषण होगा। लेकिन परिवहन में देरी होने से बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदी केंद्रों पर रखे हुए हैं। गेहूं की खरीदी जिले में 248 केंद्रों पर हो रही है। जिनमें करीब 3 लाख 20 हजार टन गेहूं की खरीदी होना बताया जा रहा है।

75 फीसद ही हुआ परिवहनः जिले में अभी तक करीब 75 फीसद गेहूं का परिवहन हो चुका है। ऐसा खरीदी करने वाले नोडल अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन 30 से अधिक फीसद गेहूं खरीदी केंद्रों पर रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर कृषि उपज मंडी में ही दो बड़े शेड फुल भराए जाने के बाद खुले मैदान में भी गेहूं रख दिया गया है।

जमकर कर आवकः खरीदी केंद्रों पर पूर्व में 20 किसानों को बुलाने के आदेश हुए थे। लेकिन एक एसएमएस सात दिनों तक गेहूं लाने की समयावधि तक लागू रहता है। इसलिए हर दिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां तक कि एक दिन में 30 से 40 किसान तक आ रहे हैं। ट्रालियों की संख्या भी 150 से 200 तक हो रही है।

ट्रालियों से भरी मंडीः गेहूं से भरी हुई ट्रालियों की संख्या एक दिन में 200 तक पहुंच रही है। यह ट्रालियां शेडों से लेकर सब्जी मंडी के शेड तक लाइन लग रही है। इन ट्रालियों के खड़े होने की जगह कम पड़ने लगी है। ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले समय में ट्रालियों के खड़े होने की जगह का अभाव हो जाएगा। क्योंकि परिवहन कम हो रहा है।

इनका कहना है

एक दिन में 16 किसानों को खरीदी केंद्रों पर आने की अनुमति दी जा रही है। जिनको पहले एसएमएस पहुंचे गए हैं। उनका गेहूं पहले लिया जा रहा है। अब शनिवार और रविवार को भी परिवहन तेज हो जाएगा। तब खरीदी केद्रों पर गेहूं कम हो जाएगा।

दिलीप सक्सेना, महाप्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम

»जॉब कार्ड बनवाने के बाद काम में नहीं ले रहे रुचि लोग »मप्र में 86.87 लाख जॉब कार्ड में से 62.09 लाख ही सक्रिय

मनरेगा से हटाए जाएंगे काम न करने वालों के नाम

संवाददाता, भोपाल

मनरेगा योजना श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सकें इसके लिए नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जॉब कार्ड बनवाने के बाद भी लोग काम में रुचि नहीं ले रहे हैं। अब सर्वे कराकर काम न करने वालों का नाम काटे जाने की तैयारी हो रही है। मप्र के 22,810 गांवों में 86.87 लाख जॉब कार्ड बने हुए हैं। इसमें से वर्तमान समय में 62.09 लाख जॉब कार्ड एक्टिव हैं। यानी 24.78 लाख जॉब कार्डधारी मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब सर्वे कराकर निष्क्रिय कार्ड धारकों के नाम हटाए जाएंगे।

तैयार कराई जाएगी सूची

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने निष्क्रिय जॉब कार्ड को निरस्त करने का निर्देश दिया है। अब ऐसे जॉब कार्ड धारी जो की जॉब कार्ड बनवाने के बाद भी काम में रुचि नहीं ले रहे हैं विभाग उनकी सूची तैयार कराएगा। जिससे कि जॉब कार्ड बनवाने के बाद भी काम में रुचि न लेने वालों के नाम विलोपित कर उनकी जगह काम में रुचि लेने वाले नए श्रमिकों के परिवारों को जोड़ा जा सके। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जा रही है। अधिकारियों द्वारा सूची तैयार की जा रही है। जल्द ऐसे श्रमिकों को हटाया जाएगा।

116.41 लाख सक्रिय श्रमिक

मनरेगा योजना के तहत प्रदेश भर में छोटे बड़े निर्माण कार्य के साथ ही अन्य कार्य भी प्रारंभ किए गए हैं। जिससे कि ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले लोगों को पर्याप्त रोजगार मिल सके और उन्हे इसके लिए बाहर न जाना पड़े। विभागीय आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में लगभग 86 लाख 87 हजार से अधिक जॉब कार्ड धारक हैं। लेकिन इसमें से 62.09 लाख जॉब कार्ड सक्रिय हैं। एक जॉब कार्ड में 3 से 5 सदस्य होते हैं। इस तरह प्रदेश में 189.54 लाख लोग मनरेगा के रजिस्टर्ड है। इनमें से वर्तमान में प्रदेश में करीब 116.41 लाख श्रमिक पिछले दो वर्ष से मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर अलग-अलग निर्माण कार्यों व मनरेगा के अन्य कार्य कर रहे हैं। यानी करीब 73.13 लाख लोग मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं।

मैदानी अमला करेगा सर्वे, करेगा प्रेरितः मनरेगा योजना के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में सर्वे कराया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा उन्होंने जॉब कार्ड तो बनवाया है लेकिन मनरेगा में वह काम करने में रुचि नहीं रखते या फिर अभी तक उन्होंने एक भी बार काम नहीं किया हो। काम न करने वाले जॉब कार्ड धारकों की सूची तैयार की जाएगी। सूची को संबंधित ग्राम पंचायत में रख प्रस्ताव पारित कराकर उनका नाम विलोपित किया जाएगा। उनकी जगह मनरेगा के तहत काम करने में रुचि रखने वालों के नाम जोड़े जाएंगे।

समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था में बदलाव

एक दिन में 16 किसानों से खरीदेंगे गेहूं

संवाददाता, हरदा

समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था में बदलाव की गई है। अब खरीदी केंद्रों पर 20 किसानों के स्थान पर 16 किसानों से ही एक दिन में खरीदी की जाएगी। एक दिन में पहली पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक उपज की तुलाई की जाएगी। वहीं खरीदी केंद्रों के लिए प्रतिदिन की जाने वाले खरीदी की मात्रा सीमित की गई है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बताया गया कि अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मई के स्थान पर 25 मई तक की जाएगी। बता दें कि जिले में 1 अप्रैल से 112 केंद्रों पर गेहूं एवं 25 केंद्रों पर 27 मार्च से चना की खरीदी की जा रही है। नई व्यवस्था सिर्फ खरीदी के लिए रहेगी।

खरीदी केंद्रों पर बढ़ा स्टॉक

परिवहन की गति धीमी होने के कारण खरीदी केंद्रों पर अनाज का स्टॉक रखा हुआ है। इसके कारण खरीदी केंद्रों पर खरीदी करने के लिए जगह ही नहीं बची है। ऐसे में किसानों को लंबे समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड रहा है। किसानों ने बताया कि ट्रॉली लेकर केंद्रों पर लंबा इंतजार करना पड रहा है। लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

गेहूं खरीदी की स्थिति

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 16 हजार 513 किसानों से 1 लाख 31 हजार 495 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। इसमें से 1 लाख 9 हजार 871 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया गया है। जिले के 4515 किसानों को 58 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। जबकि 11 हजार 998 किसानों को भुगतान का इंतजार है। जिले में 112 केंद्रों पर खरीदी चल रही है।

चना खरीदी की स्थिति

कृषि विभाग के अनुसार जिले में 5 हजार 825 किसानों से 16 हजार 912 मीट्रिक टन चना की खरीदी की गई। इसमें से इसमें से 15 हजार 798 मीट्रिक टन चना का परिवहन किया गया है। जिले के 4657 किसानों को 52 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। जबकि 1168 किसानों को भुगतान का इंतजार है। जिले में 25 केंद्रों पर खरीदी चल रही है।

पिछले साल से ज्यादा पंजीयन

पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों के पंजीयन में वृद्धि हुई है। पिछले साल 53 हजार 194 पंजीयन हुए थे। इस वर्ष 63 हजार 712 पंजीयन हुए। पिछले साल 43 हजार 855 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था। वहीं 9 हजार 339 किसानों ने चना बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इस वर्ष गेहूं बेचने के लिए 43 हजार 706 पंजीयन हुए हैं। वहीं समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए 20 हजार पंजीयन किए गए हैं।

इनका कहना है

समर्थन मूल्य पर चल रही गेहूं खरीदी के लिए कोविड को ध्यान में नई व्यवस्था की लागू की गई। इसके तहत एक खरीदी केंद्र पर एक दिन में 16 किसानों को बुलाया जाएगा। जिसमें 8-8 छोटे एवं बडे किसान शामिल रहेंगे। खरीदी एक दिन में दो पाली में चलेगी। पहली पाली सुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगी। जिसमें आठ किसान शामिल रहेंगे। वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। कुछ केंद्रों पर किसानों की संख्या बढाने के लिए संचालनालय को पत्र लिया है।

- केएस पेंड्रो, जिला आपूर्ति अधिकारी, हरदा

किसानों से उपज खरीदी सौदा पत्रक से होगी

उज्जैन। अब कृषि उपज मंडियों में सौदा पत्रक से व्यापारी किसानों से उपज खरीदी कर सकेंगे। इस आशय के आदेश मंडी बोर्ड भोपाल ने जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार मंडी बोर्ड की सलाह पर कृषि विभाग के अपर सचिव अजीत केसरी ने किसानों की उपज की खरीदी के लिए सौदा पत्रक जारी करने के आदेश जारी कर दिए है। लेकीन इस बार सौदा पत्रक ऑन लाइन बनाए जाएंगे जो कि व्यापारी स्वंय के एंड्राइड मोबाइल से बना सकेगा। इसके लिए उसे मंडी बोर्ड दुवारा बनाया गया ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि बोर्ड के ई अनुज्ञा पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है। व्यापारी सौदा कर किसानों से उपज अपने मंडी स्थित गोदाम पर बुलवा कर तौल करवा सकेगा। मंडी समिति उसका भौतिक सत्यापन करेगी। किसान को उपज का भुगतान नकद या आनलाइन बैंक खाते में किया जा सकेगा। यह व्यवस्था मंडी समिति अपनी सुविधानुसार शुरू कर सकती है। मंडी सचिव अश्वनी सिन्हा ने बताया कि सौदा पत्रक से व्यापारी उपज खरीदी कर सकेंगे इसकी व्यवस्था जल्द कर रहे है। नीलामी में शारीरिक दूरी व कोविड-19 के नियमों का पालन सम्भव नही थी। अधिकांश मंडिया बंद थी। ऐसे में सौदा पत्रक शुरू हो जाने से कृषि उपज बिकना शुरू हो जाएगी। किसानों को भी सुविधा होगी।

उज्जैन जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

गाय के कंडे में चावल की आहुति से बनेगी ऑक्सीजन

दावाः कोरोना वायरस का भी हो जाएगा खत्मा

संवाददाता, सागर

देश भर में हाहाकार मचा रही कोरोना महामारी व ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक गाय के गोबर, गौ-मूत्र, घी और सिर्फ 6 दाने चावल की सुबह-शाम आहुति देने से रोका जा सकता है। ईश्वर से वरदान के रूप में मिली गाय से मिलने वाले गोबर व घी का नियमानुसार उपयोग करने से इस महामारी का खात्मा भी किया जा सकता है। यह दावा किया है जैविक कृषि विज्ञानी एवं पुलिसकर्मी अरविंद ठाकुर ने। एसपी ऑफिस में पदस्थ अरविंद ने विशेषज्ञों से मिलकर आयुर्वेद और वेदों का अध्ययन किया है। उन्होंने नागपुर की गोशाला जाकर वहां बनाए जा रहे पंचगव्य का प्रभाव देखा, फिर प्रयोग शुरू किया। चार साल के प्रयोग जब परिणाम में बदले तो खेती को नया जीवन मिलता दिखने लगा तो अब वह इस्तेमाल क्षेत्र की खेती में भी करते हैं।

रामचरित मानस व यू-ट्यूब पर कई शोध पत्रों का अध्यन करने के बाद उन्होंने दावा किया है कि गौ-मूत्र, गोबर, गाय के दूध से बने दही, घी, गुड़, शहद पदार्थों को मिलाकर विशेष विधि से तैयार किए गए पंचगव्य कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में काफी मददगार साबित होगा। पंचगव्य शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। वहीं दूसरी ओर अग्निहोत्र के माध्यम से ऑक्सीजन की कमी को बढ़ाया जा सकता है। अग्निहोत्र एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से होम क्वारंटाइन किए गए लोगों में ऑक्सीजन की कमी होने संबंधी समस्या को रोका जा सकता है। कंडे में एक एमएल घी के आने के बाद वह सीओटू का बिखंडन करती है और ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में निर्मित करती है।

ऐसे करना होगा इस्तेमाल

अग्निहोत्र करने के लिए गाय के सूखे हुए ऐसे कंडे, जिसमें मिट्टी और भूषा का मिश्रण नहीं होना चाहिए। आसपास के परिसर में सूखा गोबर खोजा जा सकता है। कंडे के एक टुकड़े को तांबे व मिट्टी के बने हुए हवन कुण्ड में जलाकर रख दें और उसमें से जब धुंआ निकलना बंद हो जाए तब गाय के घी की 4 बूंदें, 4 से 6 साबुत चावल के दानों से सुबह सूर्योदय एवं शाम के सूर्यास्त के समय सिर्फ दो बार आहुति दें।

कारगर परिणाम प्राप्त होंगे

कृषि विज्ञानी के अनुसार इससे निकलने वाली गैसों (एथीलीन ऑक्साइड, प्रोपलीन ऑक्साइड, वीटाप्रोपियो ऑक्साइड, फार्मेडिहाइड गैसे) में वातावरण को शुद्ध करने के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। सांस में आ रही ऑक्सी लेबिल को बढ़ाने में अग्निहोत्र मदद करता है, इसके साथ ही साथ वातावरण में उपलब्ध वायरस को मार गिराता है। अग्निहोत्र की प्रक्रिया परिवार के गैर संक्रमित लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। लोगों से अपील की जाती है कि वे चिकित्सकीय इलाज के साथ-साथ इस प्रक्रिया को भी अपनाएं। इसे संस्थानों के परिशोधन में इस्तेमाल करने से कारगर परिणाम प्राप्त होंगे।

फसलें पीला मोजेक से सुरक्षित

ठाकुर पुलिस में हैं और उनके द्वारा गाय के दूध, घी, गोबर, शहद आदि से तैयार पंचगव्य कृषि विज्ञानियों के लिए पहले ही शोध का विषय बना हुआ है। यहां कई किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल न करके उनके द्वारा गौमूत्र, घी, गोबर और दही से तैयार पंचगव्य का इस्तेमाल क्षेत्र के किसान अपने खेतों में करते हैं, जिससे उनकी फसलों में इल्ली, कीट का प्रभाव नजर नहीं आता। पीला मोजेक के कारण कई खेतों की फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन उनके खेतों में बंपर उत्पादन हो रहा है। जरूआखेड़ा, बहरोल, निर्तला और बीना क्षेत्र में 22 किसानों ने इसका उपयोग किया और उनकी फसलें पीला मोजेक व अन्य रोग से भी सुरक्षित रहती हैं।

हरदा में मूंग की हरियाली

हरदा। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी की गई है। भीषण गर्मी में भी खेतों में हरियाली है। खेतों में मूंग की फसल लहरा रही है। जिले में करीब एक लाख हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई की गई है। कृषि विभाग के दल द्वारा ग्रामीण इलाकों में फसल का निरीक्षण कर किसानों को सलाह दे रहे हैं। कृषि विभाग ने इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग बोवनी का लक्ष्य एक लाख 25 हजार हेक्टेयर रखा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को बोवनी के लिए अनुदान पर 1000 क्विंटल मूंग का बीज वितरित किया गया है।

- एक लाख हेक्टेयर तक पहुंचा जिले में मूंग का रकबा
- कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को दी जा रही सलाह
- 35 हजार हेक्टेयर एरिया सिंचाई के लिए प्रस्तावित

- गोपाल भार्गव को ऑक्सीजन प्लांट निर्माण की जिम्मेदारी
- होम आइसोलेटेड को मेडिसिन किट की निगरानी करेंगे शाह

मंत्रियों ने संभाला मैदान

संवाददाता, भोपाल

मप्र में कोरोना का कोहराम जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की रोकथाम के लिए मंत्रियों को शहर से गांव तक मैदान में उतार दिया है। शिवराज ने मंत्रियों को जिला और गांवों के साथ अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे सीनियर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को ऑक्सीजन प्लांट निर्माण की जिम्मेदारी और होम आइसोलेट मरीजों को मेडिसिन किट वितरण की मॉनिटरिंग वन मंत्री विजय शाह कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है,

भोपाल नगर निगम के हर जोन में 2-2 कोविड सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं।

किस मंत्री को, क्या जिम्मेदारी

गोपाल भार्गव: प्रदेश में कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट निर्माण को समय सीमा में पूर्ण कराएंगे।
तुलसीराम सिलावट: इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बन रहे 2000 बिस्तर के अस्पताल का संचालन।
विजय शाह: प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट ब्रोशर का वितरण।
भूपेंद्र सिंह: बीना रिफाइनरी के पास बन रहे 1000 बिस्तर के निर्माण का क्रियान्वयन।
बृजेंद्र प्रताप सिंह: प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट ब्रोशर का वितरण।
डॉ. महेंद्र सिंह सिसोदिया: गांवों में संक्रमण के फैलाव रोकने आवश्यक उपाय, गांव में होम आइसोलेशन देखेंगे।
विश्वास सारंग: भोपाल में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कोविड केयर सेंटर का निर्माण और बिस्तर देखेंगे।
उषा ठाकुर: जन अभियान परिषद के सहयोग से क्रियान्वयन और वॉलिंटियर का कोरोना कार्यों में प्रभावी उपयोग।
अरविंद भदौरिया: प्रदेश में राज्य के बाहर से ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के विषय में संबंध में समन्वय।
राम किशोर कांवरे: राज्य के एक करोड़ परिवारों को काढ़े के वितरण की व्यवस्था और योग का क्रियान्वयन देखेंगे।
राजवर्धन सिंह दत्तीगांव: उद्योगों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में समन्वय देखेंगे।
ओपीएस भदौरिया: नगरों में संक्रमण रोकने के उपाय, नगरों का सैनिटाइजेशन, मेडिकल किट का वितरण देखेंगे।
प्रभुराम चौधरी: विजय शाह, भूपेंद्र सिंह और ओपीएस भदौरिया को मिली जिम्मेदारी में समन्वय रहेगा।
रामखेलावन पटेल: डॉ. महेंद्र सिंह सिसोदिया को मिली जिम्मेदारी में सहयोग करेंगे।

पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज होगी शहर से आने वाले की रिपोर्ट

गांव आने वालों की कुंडली होगी ऑनलाइन

इधर, पूरे प्रदेश के साथ जिले में भी बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन के द्वारा बाहर से आए ग्रामीणों की जानकारी डाटा के माध्यम से अपडेट रखी जाएगी। ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे मजदूरों का ध्यान रखा जाएगा और इसकी जानकारी भोपाल पंचायत दर्पण कोविड 19 पोर्टल पर प्रतिदिन दर्ज की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायतों को निर्देश दिया है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाए। ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। साथ ही पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। जिस पोर्टल पर ग्राम पंचायत के सचिवों को यह जानकारी अपलोड करनी है वह एप्स भोपाल से शुरु किया गया है। इस पोर्टल को पंचायत दर्पण पोर्टल में दर्ज किया गया है। जिसमें सचिवों के लिए दूसरे जिलों से वापस आ रहे प्रवासियों के साथ संभावित संक्रमित ग्रामीणों की जानकारी नियमित डालनी है। साथ ही कि स ग्राम पंचायत में कि तने और कहां-कहां क्वारंटाइन सेंटर बने हैं और कितने लोग वहां पर हैं इसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है।

ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे सेंटर: कोरोना संक्रमण के दौरान शहरों और दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। वहां पर पानी, बिजली, बिस्तर की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में यह सेंटर स्कूलों में बनाए गए हैं और यहां पर सभी सुविधाएं भी ग्राम पंचायत द्वारा कराई गई हैं।

नजर रखने बनाया पोर्टल

ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए पंचायत दर्पण भोपाल ने कोबिड-19 एक पोर्टल शुरू किया है। जिसमें सचिवों को प्रतिदिन अपनी ग्राम पंचायत की तीन तरह की जानकारी अपलोड करनी है। जिसमें पहली जानकारी के रूप में ग्राम पंचायत में यदि कोई संभावित सक्रमित दिखता है या कोई प्रवासी मजदूर है जो बाहर से आया है तो उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उसकी जानकारी पोर्टल पर डालनी है। जिससे उस व्यक्ति की जानकारी जिला और प्रदेश स्तर तक देखी जा सके। इसके अलावा दूसरी जानकारी के रूप में सचिवों को ग्राम पंचायत के अतंर्गत बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की जानकारी भी पोर्टल पर अपडेट करनी है। तीसरी जानकारी के रुप में सचिवों को प्रतिदिन उन लोगों की जानकारी अपडेट करनी है जो संभावित सक्रमित हैं और उनकी सेंपलिंग हुई है।

पीएस ने कलेक्टर और जिपं सीईओ को लिखा पत्र

जनता कर्फ्यू लगाने का संकल्प पत्र भरवाएंगी पंचायतें

भोपाल। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक गांवों में जनता कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान कोई भी अनावश्यक रूप से गांव से बाहर नहीं जाएगा। बाहर से गांव में आने वालों को अलग रखने की व्यवस्था पंचायतें स्कूल, आंगनबाड़ी या पंचायत भवन में करेंगी। जनता कर्फ्यू को लेकर ग्रामवासियों से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे ताकि वे मास्क का उपयोग करने, ग्राम व व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ कोरोना की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक रहें।

इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कलेक्टरों के साथ जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम घर पर रहें और अनावश्यक न घूमें। मेल-मिलाप से संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है इसलिए पंचायतें निर्णय लें कि गांव से बाहर किसी भी तरीके के आवागमन को जन सहयोग से रोकेंगी। इसके लिए जनता कर्फ्यू लगाने का संकल्प सभी ग्रामवासी लें। गांव में कोई बाहर से आए तो उसकी जांच कराएं और अलग रहने का इंतजाम करें। संकल्प पत्र भरवाकर उसे पंचायत पोर्टल पर भी दर्ज करें। अभी तक 12 हजार से ज्यादा पंचायतों द्वारा संकल्प लिए जा चुके हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)